कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 537 /FP/UK/ROAD/34286/2018 :देहरादूनः दिनांकः 24 अगस्त, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनतर्गत गंगनानी के भंगेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.316 हे0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन पस्ताव सं0–(FP/UK/ROAD/34286/2018)।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/31/2020/एफ0सी0/1511, दिनांकः–09.10.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी की पत्र संख्या–199/12–1 दिनांक 19.07.2021 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण :	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 8,87,468.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्न–1)**
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.632 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ईड गांव सिविल खसरा नं0 2852 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वीदशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	
	(ख) प्रस्तावित सम्पूर्ण 2.632 हे0 सिविल सोयम क्षेत्र में VDF/MDF पाया गया है। अतः सी0ए0 हेतु Degraded वन क्षेत्र में 2.632 हे0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF/VDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में सी0ए0 हेतु इस वन प्रभाग के डुण्डा रेंज अन्तर्गत धनारी क0सं0–3 में 2.632 हे0 Degraded वन क्षेत्र चयनित किया गया है। जहां MDF/VDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है। **(संलग्न–2)**
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। **(खतौनी की नकल तथा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की पत्र की छाया प्रति संलग्न–3 व 4)** उक्त सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी कायालय के पत्रांक 134/12–1 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को प्रेषित किया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न–5)**

	स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्न–6)**।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/ 1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28. 03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998 एफ0सी0 (pt. 2) दिनांक18.09.2003,,5–2/2006–एफ0 सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा– निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.350 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 8,64,612 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। **(संलग्न–1)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा तथा बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–7)**
5	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रसताव के अनुसार 122 Trees including 5 saplings से अधिक नहीं होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित/जमा किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	The provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be complied strictly by the state govt. and user agency.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण का EIA कराया जा चुका है जिसकी रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–8)**
8	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 the State Govt will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

9	एफ0आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगर।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्न–9)**
12	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मजदूरों को राजीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्र्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईणन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में किसी भी इन्स अभिकरणों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत करायां गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्तिको हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं प्र्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक यह रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के प्र्यवक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वार उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करनें का कार्य किया जाएगा। मलवे को	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	यथा रखनें हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पुर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) में ही अपलोड की जायेगी।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 537 / FP/UK/ROAD/34286/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्र संख्या–199/12–1 दिनांक 19.07.2021 के क्रम में।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C